मेल द्वारा भी

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 368 /01 भी0ता0 ए0/20 (0316) देहरादून, दिनांक 22 जून, 2020

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :— प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने वाले आगणनों के गठन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के माध्यम से निर्माण कार्यों के आगणन गठित कर सीधे शासन को प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते है। शासन स्तर पर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा प्रेषित आगणनों की स्वीकृति हेतु तकनीकी सेल द्वारा परीक्षण किया जाता है। प्रस्तुत आगणनों का तकनीकी परीक्षण किये जाने पर आगणन में कमियां परिलक्षित होती है कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा शासन में उपस्थित होकर निराकरण किया जाता है।

अधीनस्थ मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा आगणनों की सतही रूप से जांच कर मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए आगणन शासन को प्रेषित कर दिये जाते है। इस प्रकार आधे–अधूरे आगणन प्रेषित किये जाने पर श्रम एवं समय का ह्रास तो होता ही है साथ ही शासन स्तर से स्वीकृति जारी किये जाने में विलम्ब एव अनावश्यक पत्राचार भी होता है।

अतः शासन स्तर पर तकनीकी सलाहकार, अधोहस्ताक्षरी एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–। (नियोजन) द्वारा सेतु कार्यों, मार्ग कार्यों एवं भवन कार्यों से सम्बन्धित प्रथम चरण एवं विस्तृत आगणनों हेतु चैकलिस्ट तैयार की गयी है, जो कि संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि भविष्य में आगणनों का गठन चैकलिस्ट के अनुरूप गठित कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि संलग्न चैकलिस्ट के अनुरूप आगणन गठित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। आदेशों का अनुपालन कड़ाई एवं प्रभावी रूप से किया जाय। यदि भविष्य में लापरवाही परिलक्षित होती है तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता इस हेतु उत्तरदायी होंगें।

संलग्न–यथोपरि।

(सेतु, मार्ग, भवन कार्यों से सम्बन्धित प्रथम चरण एवं विस्तृत आगणन गठन हेतु चैकलिस्ट)।

22/6/2020

(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–। (नियोजन)/(अधिष्ठान)/क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0(ए0डी0बी0)/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/रोड़ एण्ड ब्रिज, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त तकनीकी अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय Web-Site हेतु।
6. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

संलग्न–यथोपरि।

22/6/2020

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

सेतु कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत आंगणन हेतु चैक लिस्ट

1. नदी एवं मार्ग का नाम।
2. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या।
   माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। (यदि कोई हो)
3. अन्य प्राथमिकतायें (यदि कोई हो)
4. प्रस्तावक का विवरण। (यदि कोई हो)
5. विधानसभा क्षेत्र का नाम।
6. संसदीय क्षेत्र का नाम।
7. प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति, व्यय का विवरण एवं प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने का स्वीकृत प्राविधान सहित प्रमाण पत्र।
8. सेतु के स्थल चयन का दिनांक (GPS Coordinate सहित)
9. (i) सेतु के भू गर्भीय सर्वेक्षण का दिनांक।
   (ii) संक्षिप्त आख्या।
10. (i) सेतु के Geotech का दिनांक।
    (ii) Borehole Location का मानचित्र एवं No. of Bore Hole (GPS Coordinate सहित)
    (iii) Depth of Bore Hole
    (iv) GeoTech करते हुये Team का फोटोग्राफ।
11. भूमि की स्थिति (नाप/वन) अधिग्रहीत है अथवा नहीं।
12. प्रस्तावित सेतु का विवरण।
    - सेतु की लम्बाई।
    - कुल स्पान व्यवस्था।
    - नदी का डिस्चार्ज।
    - Scour Depth
    - प्रस्तावित Clear Water Way
    - High Flood Level
    - Low Water Level
    - पुल का Formation Level
    - Pier Cap का Level
    - Free Board
    - Depth of Well/Foundation
    - Dia of Well/Size of Foundation
    - Piers की ऊँचाई।
13. प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में निर्मित सेतु का संक्षिप्त विवरण।(Type of Bridge & Span)
14. प्रस्तावित सेतु के डाउनस्ट्रीम में निर्मित सेतु का संक्षिप्त विवरण।(Type of Bridge & Span)
15. प्रस्तावित कार्य स्थल पर नदी Meandering है अथवा नहीं।
16. प्रस्तावित सेतु की Reinforced Cement Concrete का Grade
    - नींव
    - Sub Structure
    - Super Structure
17. प्रस्तावित सेतु में प्रयोग की जाने वाली Steel का Grade
    - Reinforcement
    - Structural Steel

18. प्रस्तावित सेतु में लगाई जाने वाली Bearing
    - प्रकार
    - संख्या
19. Wearing Coat
    - प्रकार
    - Thickness
20. पुल की चौड़ाई।
    - Carriage Way
    - Foothpath
21. पहुँच मार्ग की लम्बाई।
    - बांयी तरफ
    - दांयी तरफ
22. सुरक्षात्मक कार्य का संक्षिप्त विवरण
    - सुरक्षात्मक कार्य के Provision का कारण व किस आधार पर प्रस्तावित किया गया, Level of Protection Work
23. सेतु के Designer/Consultant के स्थल निरीक्षण की तिथि।
24. Design and Drawing की Vetting का संक्षिप्त विवरण।
25. Design and Drawing की Vetting की Conform कराने की तिथि।(विभागीय स्तर से इसकी पुष्टि E-mail से प्राप्त कर Ref. दें)
26. Launching Scheme का संक्षिप्त विवरण व उसकी Design किसके द्वारा की गयी का संदर्भ।
27. Cross-Section of River at Bridge Site
28. आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।
29. दरें:–
    - SOR (विधानसभा एवं वर्ष)
    - प्रस्तावित बाजार दरें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं।
30. Reinforcement का प्राविधान Bar Bending Schedule के आधार पर किया गया है अथवा नहीं।
31. आगणन में प्रथम चरण के कार्यों का प्राविधान नहीं किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
32. आगणन में Soil Testing के कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें।
33. आगणन प्रेषित करने की तिथि।
    - खण्डीय कार्यालय द्वारा
    - वृत्तीय कार्यालय द्वारा
    - मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा

<u>नोटः–</u>

- उपरोक्त सूचनाओं हेतु आगणन के सम्बन्धित पृष्ठ का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- मार्ग कार्य के साथ सेतु कार्य की स्थिति में भी उक्त चैक लिस्ट संलग्न की जाये।

मार्ग कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत आगणन हेतु चैक लिस्ट

1. मार्ग का नाम।
2. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या।
   माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। (यदि कोई हो)
3. अन्य प्राथमिकतायें (यदि कोई हो)
4. प्रस्तावक का विवरण। (यदि कोई हो)
5. विधानसभा क्षेत्र का नाम।
6. संसदीय क्षेत्र का नाम।
7. प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति, व्यय का विवरण एवं प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने का स्वीकृत प्राविधान सहित प्रमाण पत्र।
8. मार्ग कार्य से सम्बन्धित स्वीकृत समरेखण (GPS Co-Ordinate सहित) का दिनांक
9. मार्ग कार्य हेतु भू गर्भीय सर्वेक्षण का दिनांक
10. प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई (चैनेज सहित)
11. प्रस्तावित मार्ग का ROW (चैनेज सहित आगणन में संलग्न किया जाये)।
12. मार्ग में पड़ने वाले Cross Drainage का विवरण–
    - स्कपर
    - Culvert
    - सेतु
13. मार्ग पर यातायात गणना (Traffic Census)
    - Commercial Vehicle (CV)
    - Passenger Car Unit (PCU)
    - Million Standard Axles (MSA)
14. मार्ग की मिट्टी की सी०बी०बार
15. मार्ग की लेपित सतह–
    - वर्तमान चौड़ाई
    - प्रकार (PC/SDBC/BC)
    - प्रस्तावित चौड़ाई
    - प्रकार (PC/SDBC/BC)
    - मार्ग के चौड़ीकरण का औचित्य
16. मार्ग की क्रस्ट
    - वर्तमान
    - प्रस्तावित
    - मार्ग की Crust Design अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित है अथवा नहीं।
    - नये मार्ग/सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु IIT PAV से Design कराई गई है अथवा नहीं। यदि नहीं तो कारण अंकित किया जाये।
17. आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।
18. दरें–
    - SOR (विधानसभा एवं वर्ष)
    - प्रस्तावित बाजार दरें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं।
19. रोड फर्नीचर एवं यातायात सुरक्षा हेतु प्राविधान IRC के अनुसार लिये गये हैं अथवा नहीं।
20. Embankment के प्राविधान हेतु मार्ग के X-Section एवं L-Section संलग्न है अथवा नहीं।

21. Hill Road हेतु प्राविधानित ग्रेड, मार्ग की चौड़ाई, Curve, HP Bend इत्यादि मानकों के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
22. निर्धारित प्रति किमी० दर के सापेक्ष मदवार तुलनात्मक विवरण संलग्न हैं अथवा नहीं।
23. मैदानी क्षेत्र के मार्गों हेतु Drainage Plan संलग्न किया है अथवा नहीं।
24. Reinforcement का प्राविधान Bar Bending Schedule के आधार पर किया गया है अथवा नहीं।
25. आगणन में प्रथम चरण के कार्यों का प्राविधान नहीं किया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
26. आगणन में Soil Testing के कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये।
27. आगणन में Traffic Census के प्राविधान की स्थिति में Traffic Census के दौरान के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें।
28. आगणन प्रेषित करने की तिथि।
    - खण्डीय कार्यालय द्वारा
    - वृत्तीय कार्यालय द्वारा
    - मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा

नोटः–

- उपरोक्त सूचनाओं हेतु आगणन के सम्बन्धित पृष्ठ का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- मार्ग कार्य के साथ सेतु कार्य की स्थिति में सेतु कार्य की चैक लिस्ट भी संलग्न की जाये।

भवन कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत आगणन हेतु चैक लिस्ट

1. परियोजना का नाम।
2. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या।
   माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। (यदि कोई हो)
3. अन्य प्राथमिकतायें (यदि कोई हो)
4. प्रस्तावक का विवरण। (यदि कोई हो)
5. विधानसभा क्षेत्र का नाम।
6. संसदीय क्षेत्र का नाम।
7. भवन कार्य के प्रथम चरण की स्वीकृति, व्यय का विवरण एवं प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने का स्वीकृत प्राविधान सहित प्रमाण पत्र।
8. भवन निर्माण हेतु भू–गर्भीय सर्वेक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं।
9. Geo Tech का दिनांक कार्य स्थल के फोटोग्राफ सहित।
10. प्रस्तावित आवासीय/अनावासीय भवन मानकीकृत है अथवा नहीं तथा प्रस्ताव इस मनकीकरण के आधार पर तैयार किया गया है अथवा नहीं।
11. मानचित्र पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।
12. परियोजना कार्य में यदि उच्च विशिष्टियों का प्राविधान किया गया है तो उसका विवरण तथा इसमें अंतनिहित धनराशि की सूचना।
13. प्रस्तावित भवन भूकम्प जोन 4 अथवा 5 में है? भूकम्प रोधी प्राविधान किये गये हैं अथवा नहीं।
14. आगणन में नियमानुसार Rain Water Harvesting का प्राविधान किया गया है अथवा नहीं।
15. भूमि की स्थिति (नाप/वन) अधिग्रहीत है अथवा नहीं।
16. प्रस्तावित भवनों की Vetted Design एवं Drawing संलग्न है अथवा नहीं।
17. दरें–
    - DSR (वर्ष तथा Index)
    - SOR (विधानसभा एवं वर्ष)
    - प्रस्तावित बाजार दरों हेतु GeM Portal से दरें प्राप्त की गयी है अथवा नहीं।
    - प्रस्तावित बाजार दरें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित है अथवा नहीं।
18. विद्युत संयोजन/जल संयोजन हेतु सम्बन्धित विभागों के आगणन संलग्न है अथवा नहीं।
19. Reinforcement का प्राविधान Bar Bending Schedule के आधार पर किया गया है अथवा नहीं।
20. परियोजना हेतु स्थल विकास एवं पहुँच मार्ग की स्थिति।
21. आगणन में वाह्य जल–मल, विद्युतीकरण, बाउन्ड्रीवॉल, Rain Water Harvesting इत्यादि कार्यों का प्राविधान किया गया है अथवा नहीं।
22. आगणन में नियमानुसार Fire Fighting का प्राविधान किया गया है अथवा नहीं।
23. भवन में Solar Energy का प्राविधान किया गया है अथवा नहीं।
24. अन्य विभाग के आगणन की स्थिति में आगणन के प्रतिवेदन एवं लागत का सारांश, सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है अथवा नहीं।
25. आगणन में Green Building Concept हेतु किये गये प्राविधानों का विवरण।
26. Reinforcement का प्राविधान Bar Bending Schedule के आधार पर किया गया है अथवा नहीं।
27. भवन के मानचित्र की प्राधिकरण से स्वीकृति का संदर्भ।
28. आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।

29. आगणन में प्रथम चरण के कार्यों का प्राविधान नहीं किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
30. आगणन में Soil Testing के कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें।
31. आगणन प्रेषित करने की तिथि।
    - खण्डीय कार्यालय द्वारा
    - वृत्तीय कार्यालय द्वारा
    - मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा

नोटः–

- उपरोक्त सूचनाओं हेतु आगणन के सम्बन्धित पृष्ठ का उल्लेख अवश्य किया जाये।

सेतु कार्यों से सम्बन्धित प्रथम चरण के आगणन हेतु चैक लिस्ट

1. नदी एवं मार्ग का नाम।
2. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या।
   माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। (यदि कोई हो)
3. अन्य प्राथमिकतायें (यदि कोई हो)
4. प्रस्तावक का विवरण। (यदि कोई हो)
5. विधानसभा क्षेत्र का नाम।
6. संसदीय क्षेत्र का नाम।
7. प्रस्तावित सेतु की लम्बाई।
8. प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में निर्मित सेतु का संक्षिप्त विवरण।(Type of Bridge & Span)
9. प्रस्तावित सेतु के डाउनस्ट्रीम में निर्मित सेतु का संक्षिप्त विवरण।(Type of Bridge & Span)
10. पुल की चौड़ाई।
    - Carriage Way
    - Foothpath
11. पहुँच मार्ग की लम्बाई।
    - बांयी तरफ
    - दांयी तरफ
12. दरें:– (दरें किस अधिकारी द्वारा जारी की गई है तथा दरें लागू होने की तिथि)
    - प्रथम चरण के कार्य की दरें।
    - नाप भूमि अधिग्रहण की दरें।
    - Utility Shifting हेतु सम्बन्धित विभाग की दरें।
13. आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।
14. आगणन प्रेषित करने की तिथि।
    - खण्डीय कार्यालय द्वारा
    - वृत्तीय कार्यालय द्वारा
    - मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा

नोट:–

- उपरोक्त सूचनाओं हेतु आगणन के सम्बन्धित पृष्ठ का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- मार्ग कार्य के साथ सेतु कार्य की स्थिति में भी उक्त चैक लिस्ट संलग्न की जाये।

मार्ग कार्यों से सम्बन्धित प्रथम चरण के आगणन हेतु चैक लिस्ट

1. मार्ग का नाम।
2. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या।
   माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। (यदि कोई हो)
3. अन्य प्राथमिकतायें (यदि कोई हो)
4. प्रस्तावक का विवरण। (यदि कोई हो)
5. विधानसभा क्षेत्र का नाम।
6. संसदीय क्षेत्र का नाम।
7. प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई।
8. प्रस्तावित मार्ग का स्पष्ट लाइन प्लान (जिसमें मुख्य मार्ग भी दर्शाया जाये)
9. प्रस्तावित मार्ग से वास्तविक रूप से जुड़ने वाले ग्रामों का विवरण (आगणन में संलग्न किया जाये)।
10. प्रस्तावित मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों का विवरण। (आगणन में संलग्न किया जाये)।
11. मार्ग की संयोजकता (एकल/मिसिंग लिंक/विस्तारीकरण /इत्यादि)
12. दरें:– (दरें किस अधिकारी द्वारा जारी की गई है तथा दरें लागू होने की तिथि)
    - प्रथम चरण के कार्य की दरें।
    - नाप भूमि अधिग्रहण की दरें।
    - Utility Shifting हेतु सम्बन्धित विभाग की दरें।
13. आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।
14. आगणन प्रेषित करने की तिथि।
    - खण्डीय कार्यालय द्वारा
    - वृत्तीय कार्यालय द्वारा
    - मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा

नोटः–

- उपरोक्त सूचनाओं हेतु आगणन के सम्बन्धित पृष्ठ का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- मार्ग कार्य के साथ सेतु कार्य की स्थिति में सेतु कार्य की चैक लिस्ट भी संलग्न की जाये।

MPRG

भवन कार्यों से सम्बन्धित प्रथम चरण के आगणन हेतु चैक लिस्ट

1. परियोजना का नाम।
2. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या।
   माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या। (यदि कोई हो)
3. अन्य प्राथमिकतायें (यदि कोई हो)
4. प्रस्तावक का विवरण। (यदि कोई हो)
5. विधानसभा क्षेत्र का नाम।
6. संसदीय क्षेत्र का नाम।
7. प्रस्तावित भवन का अनुमानित कुर्सी क्षेत्रफल
8. यदि प्रस्तावित भवन प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में स्थित है तो आवश्यक प्राविधान।
9. दरें– आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।
   - प्रथम चरण के कार्य की दरें।
   - नाप भूमि अधिग्रहण की दरें।
   - Utility Shifting हेतु सम्बन्धित विभाग की दरें।
10. आगणन में Index Table (अनिवार्य रूप से पृष्ठ संख्या सहित) पूर्ण है अथवा नहीं।
11. आगणन प्रेषित करने की तिथि।
    - खण्डीय कार्यालय द्वारा
    - वृत्तीय कार्यालय द्वारा
    - मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा

नोटः–

- उपरोक्त सूचनाओं हेतु आगणन के सम्बन्धित पृष्ठ का उल्लेख अवश्य किया जाये।

15-6-2020	15/6/2020	15/6/20
(अयाज अहमद)	(हरि ओम शर्मा)	(ललित मोहन)
मुख्य अभियन्ता, स्तर–1	प्रमुख अभियन्ता एवं	तकनीकी परामर्शदाता
मुख्यालय	विभागाध्यक्ष	उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग	देहरादून।

(40)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, स्तर – 1
लो0नि0वि0, देहरादून

पत्रांक : 27 / 20 या0ता0(क)–स0 / 2010

दिनांक : 20–11–2010

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
गढ़वाल / कुमाऊँ क्षेत्र,
लो0नि0वि पौड़ी / अल्मोड़ा

विषयः–प्रारम्भिक एवं विस्तृत आगणनों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

शासन स्तर पर प्रेषित किये जा रहे आगणनों के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर हुआ है कि आगणन नियमानुसार गठित नहीं किये जा रहे हैं। जिस कारण शासन से आगणन आपत्तियों में प्राप्त होते हैं एवं कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब होता है। प्रारम्भिक एवं विस्तृत आगणन गठन हेतु आगणनों की जॉच का प्रपत्र निर्धारित कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि भविष्य में आगणन में जॉच प्रपत्र में दिये गये समस्त बिन्दुओं के समावेश के उपरान्त ही आगणन शासन को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–आगणनों की जॉच का प्रपत्र।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में प्रारम्भिक एवं विस्तृत आगणन सलग्न जांच प्रपत्र में निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार ही गठित किये जायें। निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार आगणन गठित न होने की दशा में सम्बन्धितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
3. कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले आगणनों की जॉच निर्धारित जॉच प्रपत्र के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

285
41

प्रारम्भिक आगणन की जॉच का प्रपत्र

1. आवरण पृष्ठ
   - कार्य का नाम
   - कार्य की लम्बाई
   - कार्य की लागत
   - परियोजना की लागत (प्रथम चरण के आगणन में)
2. आगणन गठित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची (पदनाम एवं हस्ताक्षर सहित)
3. प्रतिवेदन
   - आगणन गठित करने का संदर्भ (संदर्भित पत्र संलग्न किया जाय)
   - प्रथम चरण की लागत एवं परियोजना की लागत
   - लोक सभा क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र/विकासखण्ड का नाम अंकित किया जाय
   - लाभान्वित ग्रामों के नाम (कोड नं0, कुल आबादी, एस0सी0/एस0टी0 की आबादी भी दी जाय)
   - भूमि का विवरण (नाप भूमि, सिविल भूमि, वनभूमि)
   - विशिष्टियों का विवरण
   - सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर
4. दर विश्लेषण
   - मानक दरों की सत्यापित प्रति आगणन के साथ संलग्न की जाय
5. माप का विवरण
   - कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर
6. परिमाण विवरण
   - कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर
7. लागत का सारांश
   - सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर
8. मानचित्र
   - प्रस्तावित मार्ग का रेखीय मानचित्र (Line Diagram)
   - जनपद का मानचित्र जिस पर प्रस्तावित मार्ग प्रदर्शित हो

उपरोक्तानुसार आगणन के सभी पृष्ठ खण्डीय/वृत्तीय/क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा जॉच किये जाय एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

क्र0सं0	पदनाम	नाम	हस्ताक्षर
1	खण्डीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)		
2	वृत्तीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)		
3	क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)		

42

विस्तृत आगणन की जॉच का प्रपत्र

1. आवरण पृष्ठ
   - कार्य का नाम
   - कार्य की लम्बाई
   - कार्य की लागत
   - लोक सभा क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र/विकासखण्ड का नाम

2. आगणन गठित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची (पदनाम एवं हस्ताक्षर सहित)

3. प्रतिवेदन
   - आगणन गठित करने का संदर्भ (संदर्भित पत्र संलग्न किया जाय)
   - लोक सभा क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र/विकासखण्ड का नाम अंकित किया जाय
   - लाभान्वित ग्रामों के नाम (कोड नं0, कुल आबादी, एस0सी0/एस0टी0 की आबादी भी दी जाय)
   - विशिष्टियों का विवरण
   - भूमि का विवरण (नाप भूमि, सिविल भूमि, वनभूमि)
   - प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने/आवश्यकता न होने का प्रमाण-पत्र
   - सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर

4. दर विश्लेषण
   - मानक दरों की सत्यापित प्रति आगणन के साथ संलग्न की जाय
   - डामरीकरण के कार्यों हेतु मैक्सफाल्ट की नवीनतम दरों की सत्यापित प्रति
   - जो मदें SOR में नहीं हैं उनकी नवीनतम बाजार दरों की सत्यापित प्रति
   - सामग्री ढुलान के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता का प्रमाण-पत्र

5. डिजाइन
   - पुनः निर्माण के कार्यों में क्रस्ट डिजाइन हेतु सी0बी0आर0 टेस्ट के वास्तविक परिणाम आगणन में संलग्न किये जाय तदनुसार ही क्रस्ट का प्राविधान किया जाय।
   - पी0सी0यू0/सी0बी0डी0 के नवीनतम् आंकड़ों के अनुसार ही डिजाइन की जाय
   - किसी संस्थान से डिजाइन/परामर्श लिये जाने की स्थिति में आख्या की प्रति
   - यदि Proof Check कराया गया है तो प्रति आगणन में संलग्न की जाए

6. माप का विवरण
   - विस्तृत मानचित्रों के अनुसार वास्तविक माप कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर सहित

7. परिमाण विवरण
   - कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर

8. लागत का सारांश
   - सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षर

9. मानचित्र
   - नवनिर्माण के कार्यों में प्लान, L-Section, Cross-Section, पुनःनिर्माण हेतु क्रस्ट की डिजाइन, सेतु निर्माण हेतु सेतु की डिजाइन के अनुसार ऐबटमेन्ट, क्रॉस सैक्शन एवं GAD एवं भवन कार्यों हेतु मानक मानचित्र अथवा संस्था से अनुमोदित डिजाइन
   - जनपद का मानचित्र जिस पर प्रस्तावित मार्ग प्रदर्शित हो

उपरोक्तानुसार आगणन के सभी पृष्ठ खण्डीय/वृत्तीय/क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा जॉच किये जाय एवं प्रत्येक पृष्ठ पर जॉचा एवं ठीक किया अंकित तथा हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

क्र0सं0	पदनाम	नाम	हस्ताक्षर
1	खण्डीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)		
2	वृत्तीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)		
3	क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. मार्ग निर्माण से निकलने वाले मलवे को valley साइड मे गिरने से बचाया जाय तथा अधिकतम मलवे का निस्तारण Muck Disposal स्थल पर किया जाय। Muck Disposal स्थल पर मलवे की स्थिरता हेतु आवश्यक Toe-Wall आदि का प्राविधान DPR मे किए जाय, तथा उक्त प्रकार से बनाए गए Muck Disposal स्थलो को Parking Places, Passing Places, यात्री प्रतीक्षालय के रूप मे विकसित किया जा सकता है। Muck Disposal स्थल के चयन के समय पर्यावरणीय पहलू को अवश्य ध्यान मे रखा जाय। DPR गठित करते समय मार्ग निर्माण से प्राप्त सामाग्री के अधिकतम उपयोग करते हुए DPR मे प्राविधान किए जाय जिससे एक ओर मार्ग की निर्माण लागत कम होगी वही मलवा निस्तारण मे होने वाला व्यय भी कम होगा।

6. IRC- 52: 2001 के Clause 15 के अनुसार मार्ग पर प्रति किमी 2-3 Passing Places का प्राविधान अवश्य किया जाय। आबादी वाले भागो मे मार्ग को Edge to Edge Paved Shoulder/ Hard Shoulder/ Interlocking Tile आदि के साथ बनाया जाय।

7. मार्ग के वे भाग जिन का प्रयोग Other Department/ Agency को अपनी Utility Cable, Line आदि के लिए प्रयोग किया जाना संभावित हो वहाँ पर मार्ग निर्माण / पुन: निर्माण के समय विशिष्टियों के अनुसार Utility Duct / Hume Pipe Duct का भी प्राविधान किया जाय ताकि मार्ग को बार बार क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

8. Cross Drain हेतु प्राविधान proper design के आधार पर किए जाय। प्रति किमी 6-8 स्कपर अवश्य बनाये जाय। जिन क्षेत्रो मे उपयुक्त क्वालिटी के पत्थर उपलब्ध न हो वहाँ पर RR Dry स्कपर के स्थान पर RCC Slab Scupper/ Precast RCC Slab Scupper/ RCC Box Culvert/ Hume Pipe आदि का प्राविधान किया जा सकता है। जिन स्थानो पर पानी के साथ अन्य material जैसे मलवा आदि के आने से scupper के बार बार चोक होने की संभावना हो वहाँ पर 1.5 मीटर Span Culvert बनाई जा सकती है, जिसकी drawing IRC - SP-20 मे उपलब्ध है। Scupper के Down stream मे पानी के बहाव से होने वाले कटाव को रोकने हेतु आवश्यक प्राविधान किए जाय तथा स्थल की आवश्यकतानुसार कुछ दूरी तक check wall भी बनाई जाय।

9. सामान्यत: मार्गो पर Causeway न बनाकर Culvert बनायी जाय। अपरिहार्य स्थितयो मे Causeway का प्राविधान अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन प्राप्त कर ही लिया जाय। Causeway Minimum PCC Grade M-30 मे ही बनाए जाय।

10. जिन भागो मे हिल साइड से excessive seepage होने की संभावना हो उन स्थानो पर drainage layer/ Filtration layer आदि का प्राविधान रखा जाय।

11. मार्ग पर सुरक्षित व सुविधाजनक यातायात हेतु Road Safety व Road Furniture से संबन्धित प्राविधान आवश्यक रूप से किए जाय तथा उक्त हेतु प्राविधानित धनराशि का प्रयोग किसी अन्य मद मे न किया जाय। पर्वतीय मार्गो पर दुर्घटनाओ को देखते हुए आवश्यक है कि मार्ग मे अंधे मोड़ो, बाहरी मोड़ो आदि स्थानो पर Parapet / Crash Barrier का प्राविधान अवश्य किया जाय। Parapet बनाने के पश्चात उनकी curing पर विशेष ध्यान रखा जाय।

12. मार्ग मे यथासंभव Local Material का प्रयोग Sub-Grade/ Sub-Base तथा Base Course बनाने मे कर लागत मे मितव्ययता लायी जाय। इस हेतु IRC मे दिये गए प्राविधानों के अनुसार stabilizer का प्रयोग किया जा सकता है।

13. कार्यस्थल कि स्थिति के अनुरूप Cold Mix एवं Warm Mix Technology का प्रयोग अवश्य किया जाय। साथ ही Innovative Material का यथासंभव उपयोग किया जाय।

उक्त समस्त कार्यो को कराने के लिए स्पष्ट है कि DPR की लागत प्रति किमी सामान्य दर से अधिक आ सकती है लेकिन वर्तमान परिवेश मे सुरक्षा एवं पर्यावरणीय कारको को देखते हुए उपरोक्त कार्य कराने अपरिहार्य हो गए है, ताकि जो भी मार्ग बने वह Sustainable, सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल हो तथा इसके दूरगामी परिणाम क्षेत्र तथा प्रदेश को मिल सके।

प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई, लो नि वि, उत्तराखण्ड देहरादून/ पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी/पिथौरागढ़/अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेशित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर I \ II विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0 नि0 वि0 देहरादून।
4. समस्त तकनीकी स्टाफ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, टी0 ए0सी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. अधिशासी अभियन्ता, IT को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0वि0

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित करने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक 26-04-2017 को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के अध्यक्षता मे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

01	श्री आर0सी0 पुरोहित	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
02	श्री के0के0 श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता (पी0एम0जी0एस0वाई0)
03	श्री बी0सी0 बिनवाल	मुख्य अभियन्ता (हल्द्वानी)
04	श्री के0पी0 जोशी	मुख्य अभियन्ता (अल्मोड़ा)
05	श्री सत्येन्द्र शर्मा	मुख्य अभियन्ता (पिथौरागढ़)
06	श्री राजेन्द्र गोयल	मुख्य अभियन्ता (देहरादून)
07	श्री अयाज अहमद	मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 (हल्द्वानी)
08	श्री के0पी0 उप्रेती	अधीक्षण अभियन्ता (देहरादून)
09	श्री राजेश शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, रा0मा0 (देहरादून)
10	श्री एस0के0 राय	अधीक्षण अभियन्ता (हल्द्वानी)
11	श्री एन0पी0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता (टिहरी)
12	श्री एन0एल0 वर्मा	अधिशासी अभियन्ता (टिहरी)
13	श्रीमति रचना थपलियाल	अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय
14	श्री एस0के0 वर्मा	सहायक अभियन्ता (सिविल वृत्त हरिद्वार)
15	श्री एम0एम0एस0 पुण्डीर	सहायक अभियन्ता (प्रान्तीय खण्ड देहरादून)
16	श्री मनोज सिंह पँवार	सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित करने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक 26-04-2017को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के अध्यक्षता मे बैठक आयोजित की गयी। बैठक मे समस्त संसाधनो यथा श्रमिक, मशीनरी एवं सामग्री की दरो के संबंध मे विस्तृत विचार विमर्श किया गया। शेड्यूल ऑफ रेट्स मे उपलब्ध मदों तथा नई मदों जिन्हे शेड्यूल ऑफ रेट्स मे सम्मिलित किया जाने की आवश्यकता है के संबंध मे भी उपस्थित अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए। बैठक मे प्राप्त सुझावो पर विस्तृत चर्चा, क्षेत्रीय कार्यालयो से प्राप्त फीडबैक तथा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयो के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स को पुनरीक्षित कर दिया गया है, जिसे दिनांक 01-05-2017 से लागू समझा जाय।

इस शेड्यूल ऑफ रेट्स मे निम्न प्राविधान / संशोधन किए गए है-

1 वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु केंद्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स विभागीय web-site **http://pwdsor.pwduk.in** पर "PDF Format" मे उपलब्ध रहेगे। जिसका पूर्व की भांति LOGIN ID –**PWDSOR** व Password –**SOR1234** है। विगत वर्षो के SOR पूर्व की भांति PWIMS सॉफ्टवेयर की web-site **http://202.91.91.120** पर उपलब्ध रहेंगे।

2 श्रमिक तथा मशीनरी हेतु ब्लाकवार निर्धारित INDEX मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3 SOR हेतु Labour की मूल दरों मे Cost Index के आधार पर 3.5% की बढ़ोत्तरी करते हुये निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है ।

Type of Labour	Rate for FY 2017-18
Unskilled	260.00per Day
Semiskilled	285.00 per Day
Skilled	375.00per Day
Highly skilled A	455.00per Day
Highly skilled B	470.00per Day
Highly skilled C	480.00per Day

4 विभागीय सप्लाई हेतु Labour की दरे अलग से निर्धारित की जाएंगी।

5 मशीन की दरें पूर्व की भांति रखी गयी है, परंतु कुछ संशाधनों की दरों मे विसंगतिया थी अत: उन संशाधनों की दरो मे परिवर्तन किया गया है।

6 Material की दरों को वर्तमान बाजारी दरों, रायल्टी की दरों तथा फील्ड से प्राप्त Feedback के आधार पर पुनरीक्षित कर दी गयी है।

7 MORTH तथा MORD SOR के Rate Analysis का Data Book के अनुसार पुन: परीक्षण किया गया तथा पायी गयी कमियो को ठीक किया गया है।

8 कुछ सामग्री की cartage lead मे विसंगतिया थी जिन्हे समान प्रकार के material की cartage lead के आधार पर संशोधित किया गया है।

9 SOR मे ली गयी Lead Data वर्ष 2010-11 मे संकलित कि गयी थी, विगत वर्षो मे नयी सड़को का निर्माण,Quarry के स्थान मे परिवर्तन आदि स्थानीय कारणो से सामग्री की Cartage Lead मे change होने की संभावना है, अत: सिविल वृत्तो के समस्त अधीक्षण अभियंताओ को निर्देशित किया जाता है कि समस्त सामग्री की SOR मे प्रयुक्त ब्लॉक वार Lead Distance का पुन: विस्तृत परीक्षण कर इस कार्यालय को सूचित करे।

10 MISCELLANEOUS-SOR मे निम्न परिवर्तन किए गए है –

- वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पीसी तथा सील कोट की नयी मद जोड़ी गयी है।
- 60 मीटर स्पान तक के सेतुओ हेतु Erection of Steel Truss (Girder) Bridge की नयी मद जोड़ी गयी है। उक्त से अधिक स्पान के सेतु के Erection हेतु DPR गठन के समय Consultant से Erection Scheme प्राप्त कर तदनुसार विश्लेषित की जाय।
- 80mm thick Interlocking Concrete Block Pavements of M-40 Grade की नयी मद जोड़ी गयी है।
- Dewatering हेतु प्रति HP प्रति घंटा की नयी मद जोड़ी गयी है।
- Road Studs / Cat Eye, Solar Road Studs, Spring Posts, Road Delineators, PVC Traffic Cones, Median Markers, AFP Hazard Marker की नयी मद जोड़ी गयी है।
- नवीन विशिष्टियों के अनुसार Type IV तथा TypeXI ग्रेड की retro- reflective Sheet के Traffic Signs की मदों की दरे जोड़ी गयी है।
- इस SOR मे समय समय पर आवश्यकतानुसार Item जोड़े जाते रहे है जिस कारण मदो का क्रम अव्यवस्थित था, अत: समान प्रकार की मदो को चैप्टर मे व्यवस्थित किया गया है, जिस कारण इस SOR की मदो के Sl.No. परिवर्तित किए गए है।
- मदो की भाषा मे यथासंभव MORTH/MORD के अनुसार भाषा व Specification Clause को जोड़ा गया है।
- R.R. Stone Masonry laid in Mud Mortar को Delete कर दिया गया है।

- R.R. Stone Masonry laid in 1:6 मे MORDspecification के अनुसार Bond Stone की लागत जोड़ी गयी है।
- कार्यस्थल पर Wire cratesकी भौतिक माप सुनिश्चित करने हेतु Wire crates Per No की मद को हटा दिया गया है तथा Wire crates की प्रति Cum दरे ही प्रयोग की जानी है।
- Cement plum Concrete मे concrete 1:3:7 को concrete 1:3:6 से परिवर्तित किया गया है तथा Rate Analysis मे तदनुसार संशोधन किया गया है।
- नवीन IRC code के अनुसार Cement Concrete Pavement मे minimum PCC Grade M-30 का प्रयोग किया जाना है, अत: Cement Concrete Pavement in PCC Grade M-25 को Cement Concrete Pavement in PCC Grade M-30 मे परिवर्तित किया गया है तथा Rate Analysis मे तदनुसार संशोधन किया गया है।
- Premix Carpet हेतु MORD SOR मे मद उपलब्ध है परंतु जिन Single Lane मार्गो पर MORD Specification के अनुसार Prime coat कर मार्ग को 24 घंटे तक यातायात हेतु बाधित रखना संभव न हो उन Single Lane मार्गो पर PWD Specification के अनुसार बिना Prime coat के PCOver WBM surface including Tack Coat की मद इस SOR मे रखी गयी है,परंतु तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस मद के प्राविधान को स्वीकृत करने से पूर्व संतुष्ट हो ले की मार्ग पर MORD Specification के अनुसार PC करना संभव नहीं है।
- Premix Carpet Over existing painted surfaces per PWD Specification की मद को Delete कर दिया गया है।
- Surface Dressing P1/P2 की मदे MORDSOR मे उपलब्ध है अत: इस मद को Delete कर दिया गया है।
- सेतुओ के निर्माण हेतु MORTH के Specification व SOR प्रयोग करने हेतु पूर्व से ही निर्देश है अत: Random Coursed Rubble Masonry व strip seal expansion joint की मदो को Delete कर दिया गया है।
- Providing and spreading RBM (treated as granular sub-base /base/surface course material) की मद को Delete कर दिया गया है, यदि किसी अन्य कार्य हेतु RBM की आवश्यकता हो तो Material PM2211- River Bed Material की दरो के आधार पर मद की दर विश्लेषित की जा सकती है।
- Vaccuum dewatering in fresh concrete की मद को Delete कर दिया गया है।
- MORD तथा MORTH -SOR मे Bearing की Fitting & Fixing की दरे (excluding Cost of Bearing) दी गयी है जिसमे DPR गठित करते समय design के अनुसार Bearing की बाजारी दरे प्राप्त कर दर विश्लेषित की जाय।
- Patch Repair के कार्य (जिनकी माप 10Sqm से कम हो) मे Bituminous कार्यो हेतु SOR दरों मे 10% अतिरिक्त देय होगा।

प्रमुख अभियन्ता

(43)

पत्रांक :- 451(1)/10 अधि प्राप्ति-पूर्वीय/2017 दिनांक :- 15-5-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रभारी सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/देहरादून लो0नि0वि0
6. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु /ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक /पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा
7. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
12. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
13. प्रबंध निदेशक, USIDC, देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0यॉ0 लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर -I ,लो0नि0वि0 देहरादून।
16. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

15/5/17

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड

PWD Uttarakhand

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-ceddnzone@rediffmail.com

पत्रांकः– 2616/मा0 - क्षे0 का0 /2014

दिनांक 05.08.2014

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
षष्टम्/नवम्/सिविल वृत्त,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरकाशी/देहरादून/हरिद्वार।

विषयः– विस्तृत आगणनों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

वृत्तीय कार्यालयों से प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्राप्त विस्तृत आगणनों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विस्तृत आगणन कार्य स्थल की परिस्थितियो एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार गठित नही किये जा रहे है, जिससे स्वीकृत मूल आगणन में प्राविधानित मदों एवं प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे आगणन के प्राविधानों में भिन्नता हो रही है। भविष्य में विस्तृत आगणन निम्न निर्देशों के अनुसार ही गठित किये जायेंगें।

1. स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने वाले विस्तृत आगणन में मदों का प्राविधान कार्य स्थल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जाय। ताकि स्वीकृत आगणन की मदों में स्वीकृति के पश्चात प्राविधिक स्वीकृति हेतु गठित आगणन के प्राविधानों में कोई परिवर्तन न हो।
2. पुनःनिर्माण के आगणनों में मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई एवं चौड़ाई का आंकलन सर्वेक्षण करने के उपरान्त वास्तविक रूप से करने के पश्चात् ही आगणन का गठन किया जाय।
3. द्वितीय चरण हेतु गठित किये जाने वाले आगणनों में मार्ग पर स्लिप जोन होने की दशा में समस्त स्लिप जोनों पर उचित प्रकार की ब्रेस्ट वाल का प्राविधान स्लिप जोन की प्रकृति के अनुसार किया जाय।
4. क्रास ड्रेनेज में पानी के Out Fall पर होने वाले कटाव को रोकने हेतु आवश्यक प्राविधान आगणन में सम्मिलित किये जाय। ताकि ऊंचाई से पानी गिरने पर सम्भावित कटाव को रोका जा सके। कॉजवे हेतु एम–30 कंक्रीट का प्राविधान किया जाय।
5. ज्यामितीय सुधार हेतु पूर्व निर्मित स्कपरों के चौड़ीकरण (लम्बाई बढ़ाने) की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार प्राविधान किये जायः–
   (i) यदि स्कपर का विस्तार हिल साइड की ओर किया जाना प्रस्तावित है, तो कैच पिट को सम्मिलित करते हुए आगणन में प्राविधान किया जाय।
   (ii) स्कपर का विस्तार खड्ड साइड की ओर किया जाना प्रस्तावित होने पर तदनुसार ही मात्रा एवं दरों का आंकलन कर आगणन में प्राविधान किया जाय।
6. विस्तृत आगणन में नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय। पक्की नाली निर्माण हेतु के0सी0 टाइप नाली का ही प्राविधान आगणन में किया जाय, अन्य प्रकार की नाली के निर्माण का प्राविधान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार ही किया जायेगा।
7. पुनःनिर्माण हेतु गठित विस्तृत आगणन में रोड साइनेज, सुरक्षात्मक कार्यो के अन्तर्गत पैरापिट, क्रैश बैरियर एवं एज स्टोन का प्राविधान आवश्यकतानुसार किया जाय।

(181) 178

5. विस्तृत आगणन में समस्त प्राविधानित कार्य प्रमुख अभियन्ता द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर किये जाय।

मुख्य अभियन्ता स्तर–2
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0
देहरादून

तिलिपि:– कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विस्तृत आगणनों की जांच के उपरान्त ही आगणन शासन को प्रेषित किये जाने/प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

5/8/14

मुख्य अभियन्ता स्तर–2
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0
देहरादून

- R.R. Stone Masonry laid in 1:6 मे MORDspecification के अनुसार Bond Stone की लागत जोड़ी गयी है।
- कार्यस्थल पर Wire cratesकी भौतिक माप सुनिश्चित करने हेतु Wire crates Per No की मद को हटा दिया गया है तथा Wire crates की प्रति Cum दरे ही प्रयोग की जानी है।
- Cement plum Concrete मे concrete 1:3:7 को concrete 1:3:6 से परिवर्तित कि[illegible] गया है तथा Rate Analysis मे तदनुसार संशोधन किया गया है।
- नवीन IRC code के अनुसार Cement Concrete Pavement मे minimum PCC Grade M-30 का प्रयोग किया जाना है, अत: Cement Concrete Pavement in PCC Grade M-25 को Cement Concrete Pavement in PCC Grade M-30 मे परिवर्तित किया गया है तथा Rate Analysis मे तदनुसार संशोधन किया गया है।
- Premix Carpet हेतु MORD SOR मे मद उपलब्ध है परंतु जिन Single Lane [illegible] पर MORD Specification के अनुसार Prime coat कर मार्ग को 24 घंटे तक यातायात हेतु [illegible]धित रखना संभव न हो उन Single Lane मार्गो पर PWD Specification के अनुसार बिना Prime coat के PCOver WBM surface including Tack Coat की मद इस SOR मे रखी गयी है,परंतु तकनीकी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस मद के प्राविधान को स्वीकृत करने से पूर्व संतुष्ट हो ले की मार्ग पर MORD Specification के अनुसार PC करना संभव नहीं है।
- Premix Carpet Over existing painted surfaces per PWD Specification की [illegible] को Delete कर दिया गया है।
- Surface Dressing P1/P2 की मदे MORDSOR मे उपलब्ध है अत: इस मद को Delete कर दिया गया है।
- सेतुओ के निर्माण हेतु MORTH के Specification व SOR प्रयोग करने हेतु पूर्व से ही निर्देश है अत: Random Coursed Rubble Masonry व strip seal expansion joint की [illegible] को Delete कर दिया गया है।
- Providing and spreading RBM (treated as granular sub-base /base/surface course material) की मद को Delete कर दिया गया है, यदि किसी अन्य कार्य हेतु RBM की आवश्यकता हो तो Material PM2211- River Bed Material की दरो के आधार पर मद की दर विश्लेषित की जा सकती है।
- Vaccuum dewatering in fresh concrete की मद को Delete कर दिया गया है।
- MORD तथा MORTH -SOR मे Bearing की Fitting & Fixing की दरे (excluding Cost of Bearing) दी गयी है जिसमे DPR गठित करते समय design के अनुसार Bearing की बाजारी दरे प्राप्त कर दर विश्लेषित की जाय।
- Patch Repair के कार्य (जिनकी माप 10Sqm से कम हो) मे Bituminous कार्यो हेतु SOR दरों मे 10% अतिरिक्त देय होगा।

प्रमुख अभियन्ता

(43)

त्रांक :- 451(1)/10 अधिप्राप्ति-टेन्डर/2017 दिनाँक :- 15-5-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रभारी सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/देहरादून लो0नि0वि0
6. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु /ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक /सी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0 देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा
7. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
12. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
13. प्रबंध निदेशक, USIDC, देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0यों0 लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II समस्त अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर –I ,लो0नि0वि0 देहरादून।
16. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

15/5/17

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड

PWD
Uttarakhand
कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून
website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eddnzone@rediffmail.com

(80)

पत्रांकः– 2616/मा0 - क्षे0 का0 /2014

सेवा में,

दिनांक 05.08.2014

अधीक्षण अभियन्ता,
षष्टम्/नवम्/सिविल वृत्त,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरकाशी/देहरादून/हरिद्वार।

विषयः– विस्तृत आगणनों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

वृत्तीय कार्यालयों से प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्राप्त विस्तृत आगणनों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विस्तृत आगणन कार्य स्थल की परिस्थितियों एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार गठित नही किये जा रहे है, जिससे स्वीकृत मूल आगणन में प्राविधानित मदों एवं प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे आगणन के प्राविधानों में भिन्नता हो रही है। भविष्य में विस्तृत आगणन निम्न निर्देशों के अनुसार ही गठित किये जायेंगे।

1. स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने वाले विस्तृत आगणन में मदों का प्राविधान कार्य स्थल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जाय। ताकि स्वीकृत आगणन की मदों में स्वीकृति के पश्चात प्राविधिक स्वीकृति हेतु गठित आगणन के प्राविधानों में कोई परिवर्तन न हो।
2. पुनःनिर्माण के आगणनों में मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई एवं चौड़ाई का आंकलन सर्वेक्षण करने के उपरान्त वास्तविक रूप से करने के पश्चात् ही आगणन का गठन किया जाय।
3. द्वितीय चरण हेतु गठित किये जाने वाले आगणनों में मार्ग पर स्लिप जोन होने की दशा में समस्त स्लिप जोनों पर उचित प्रकार की ब्रेस्ट वाल का प्राविधान स्लिप जोन की प्रकृति के अनुसार किया जाय।
4. क्रास ड्रेनेज में पानी के Out Fall पर होने वाले कटाव को रोकने हेतु आवश्यक प्राविधान आगणन में सम्मिलित किये जाय। ताकि ऊंचाई से पानी गिरने पर सम्भावित कटाव को रोका जा सके। कौजवे हेतु एम–30 कंक्रीट का प्राविधान किया जाय।
5. ज्यामितीय सुधार हेतु पूर्व निर्मित स्कपरों के चौड़ीकरण (लम्बाई बढ़ाने) की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार प्राविधान किये जायः–
   (i) यदि स्कपर का विस्तार हिल साइड की ओर किया जाना प्रस्तावित है, तो कैच पिट को सम्मिलित करते हुए आगणन में प्राविधान किया जाय।
   (ii) स्कपर का विस्तार खड्ड साइड की ओर किया जाना प्रस्तावित होने पर तदनुसार ही मात्रा एवं दरों का आंकलन कर आगणन में प्राविधान किया जाय।
6. विस्तृत आगणन में नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय। पक्की नाली निर्माण हेतु के0सी0 टाइप नाली का ही प्राविधान आगणन में किया जाय, अन्य प्रकार की नाली के निर्माण का प्राविधान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार ही किया जायेगा।
7. पुनःनिर्माण हेतु गठित विस्तृत आगणन में रोड साइनेज, सुरक्षात्मक कार्यो के अन्तर्गत पैरापिट, क्रैश बैरियर एवं एज स्टोन का प्राविधान आवश्यकतानुसार किया जाय।

(181) 174

विस्तृत आगणन में समस्त प्राविधानित कार्य प्रमुख अभियन्ता द्वारा समय–समय पर जारी परिप
आधार पर किये जाय।

मुख्य अभियन्ता स्तर–
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0
देहरादून

प्रतिलिपिः– कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून को इस निर्देश के साथ प्र
कि उपरोक्तानुसार विस्तृत आगणनों की जांच के उपरान्त ही आगणन शासन को
किये जाने/प्राविधिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर–
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0
देहरादून